

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2021/डी-2216

दिनांक:- 14/12/2024

कार्यालय आदेश

जोन-8 में अनुमोदित विभिन्न सैक्टर रोड़ों के विकास एवं निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं जविप्रा की नीति के तहत विभिन्न खातेदारों द्वारा सैक्टर रोड़ से प्रभावित भूमि का धारा-44 के तहत समर्पण किया गया था। उक्त समर्पण के फलस्वरूप नियमानुसार खातेदारों को आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.11.2021 को कम्प्यूटर से लॉटरी निकाली जाकर भूखण्डों का आवंटन किया गया था। लॉटरी में आवंटित भूखण्डों के सम्बन्ध में खातेदारान् द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटित भूखण्ड शमशान बाउण्ड्री में होना बताया गया है जिसकी जोन स्तर पर मौका जांच करवाई गई जिसमें उक्त आवंटित भूखण्डों में से अधिकतर भूखण्ड शमशान बाउण्ड्री एवं नाले के बहाव क्षेत्र से प्रभावित है। अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.11.2021 को निकाली गयी लॉटरी एवं उसके तहत आवंटित समस्त भूखण्डों का आवंटन तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हुये लॉटरी को निरस्त घोषित किया जाता है।

उपायुक्त जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
5. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
6. राजीव रतन मीणा, वास्तुविद जोन-08, जविप्रा, जयपुर।
7. कनिष्ठ अभियंता जोन-08, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री दिनेश चन्द्र कटारा, डी-39, महेश मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।
9. श्री गंगाराम चौधरी, ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।